यह निरीक्षण प्रतिवेदन **बाल विकास परियोजना अधिकारी, खानपुर, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **बाल विकास परियोजना अधिकारी, खानपुर, हरिद्वार** के माह 04/2015 से 09/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री जितेन्द्र सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 03.10.2017 से 07.10.2017 तक श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

(ii) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) **बाल विकास परियोजना अधिकारी, खानपुर, हरिद्वार** का मुख्य कार्यकलाप आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन तथा केन्द्रों के माध्यम से टीएचआर/कुक्ड फूड के संचालन करना।

(ब) **बाल विकास परियोजना अधिकारी, खानपुर, हरिद्वार** एवं इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र समस्त विकास खण्ड खानपुर स्थित है।

(iii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	0	0	8.41	7.57	249.54	249.05	---	1.33
2016-17	0	0	8.92	8.31	277.33	277.29	---	0.65
2017-18			8.45	6.75	129.65	53.85	---	---

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय	अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2015-16	टीएचआर/कुक्ड फूड	00	123.78	123.78	---	---
2016-17	टीएचआर/कुक्ड फूड	00	122.05	122.05	---	---
2017-18	टीएचआर/कुक्ड फूड	00	5.55	5.10	---	0.45

(iv) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्रोत निदेशालय स्तर से प्राप्त है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. निदेशक 3. डी.पी.ओ. 4. सी.डी.पी.ओ. 5. सुपर वाइजर 6. कार्यकत्री

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **बाल विकास परियोजना अधिकारी, खानपुर, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **बाल विकास परियोजना अधिकारी, खानपुर, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2016 एवं 06/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II (ब)

प्रस्तर 01 :- 2.07 लाख के अर्जित ब्याज एवं की धनराशि को शासन को प्रेषित न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक सं° 99/ xxvii (14) 2009 दिनांक 03.12.2009 के द्वारा ब्याज की धनराशि को तत्काल 0049 लेखा शीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए। यदि किसी मद में ब्याज की धनराशि को व्यय किया जाना हो तो वित्त विभाग से पृथक शासनादेश उपलब्ध होना चाहिए तथा उस धनराशि को आगामी वर्षों में समायोजित करते हुये शेष धनराशि की मांग शासन से की जाएगी।

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, खानपुर, हरिद्वार के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभाग को आबंटित धनराशि पर बैंक के द्वारा ब्याज दिया जाता है, वर्ष 2015-16 से 2017-18 (सितम्बर 2017 तक) की अवधि में प्राप्त ब्याज की राशि को 0049 में जमा न करने या धनराशि को आगामी वर्षों में समायोजित करते हुये शेष धनराशि की मांग शासन से नहीं किए जाने से ब्याज की धनराशि रू. 2,07,110/- लम्बित हैं, जिसे तत्काल 0049 लेखा शीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए, ब्याज की राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र° सं°	योजना का नाम	ब्याज की धनराशि
1	बाल विकास परियोजना अधिकारी, खानपुर, हरिद्वार	1,10,138.00
2	विभिन्न आंगनवाड़ी केन्द्रों में	96,972.00
कुल योग		**2,07,110.00**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बैंक में ब्याज की धनराशि प्रति वर्ष बढ़ रही थी तथा विभाग द्वारा ब्याज की धनराशि को शासन को वापस नहीं किया जा रहा था, जो शासनादेश के प्रति उदासीनता को प्रकट करती है।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि विभाग द्वारा रू. 2.07 लाख की धनराशि को राजकोष में जमा कराये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी, उक्त धनराशि को राजकोष में जमा करा दिया जायेगा।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि विभाग द्वारा एक से दो वर्ष बीत जाने के पश्चात भी विभाग द्वारा शासन को धनराशि वापस नहीं की गयी। जिससे न केवल उक्त धनराशि अनावश्यक रूप से अवरुद्ध है, जिसका विकास कार्यों पर उसका उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अतः विभाग द्वारा रू. 2.07 लाख के अर्जित ब्याज की धनराशि को शासन को प्रेषित न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-------------शून्य----------------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने **बाल विकास परियोजना अधिकारी, खानपुर, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री धर्मवीर सिंह	बाल विकास परियोजना अधिकारी	04/2015 से 08.03.2016
2.	श्रीमति वीण पुरोहित	बाल विकास परियोजना अधिकारी	09.03.2016 से 09.08.2016
3.	श्री मोहित चौधरी	जिला कार्यक्रम अधिकारी	10.08.2016 से 05.11.2016
4.	सुश्री शैली प्रजापति	जिला कार्यक्रम अधिकारी	06.11.2016 से 20.03.2017
5.	सुश्री अखिलेश शुक्ला	जिला बचत अधिकारी	20.03.2017 से 10.04.2017
6.	सुश्री शैली प्रजापति	जिला कार्यक्रम अधिकारी	10.04.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **बाल विकास परियोजना अधिकारी, खानपुर, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र